क्रमांक 168 / बो.प्र. / नि.स. / 2021 / ....
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग शिवनाथ भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

दिनांक / 12 / 2021

अपील प्रकरण क्रमांक 168 / बो.प्र. / नि.सहा. / 2021

अपीलार्थी		उत्तरवादी
श्री रवि पेदुरवार (संपादक) दिव्यांग चेतना, माँ दंतेश्वरी मंदिर के पास कुशालपुर रोड, रायपुर (छ.ग.) मो.नं.–9425518875	विरूद्ध	श्री एल.बी. शाह जनसूचना अधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 29.12.2021

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थी श्री रवि पेदुरवार का प्रथम अपील आवेदन पत्र दिनांक 06.12.2021 जो कार्यालय में दिनांक 06.12.2021 को प्राप्त हुआ, की सुनवाई आज दिनांक 29.12.2021 को कक्ष क्र. FA-6, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में दोपहर 12.00 बजे प्रारम्भ की गई। सुनवाई के दौरान अपीलार्थी श्री रवि पेदुरवार एवं उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी श्री एल.बी.शाह कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.) उपस्थित थे।

2 प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री रवि पेदुरवार द्वारा अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन नवा रायपुर में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत, जल संसाधन विभाग में पदस्थ श्री पी.के. आनंद, कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद से संबंधित प्रथम नियुक्ति से लेकर आज दिनांक तक किये गये पदस्थापना से संबंधित दस्तावेज जिनमें प्रचलित नोटशीट, पदस्थापना आदेश की सत्यापित प्रति की जानकारी प्रदान करने हेतु दिनांक 04.10.2021 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जो कार्यालय में दिनांक 08.10.2021 को प्राप्त हुआ। जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर, अटल नगर द्वारा अपीलार्थी के आवेदन में वांछित जानकारी लोक प्राधिकारी कार्यालय में दस्तावेज धारित न होने के कारण, अपीलार्थी का आवेदन अधिनियम की धारा 6(3) के तहत श्री पी.के. आनंद के वर्तमान पदस्थापना कार्यालय के जन सूचना अधिकारी, कार्यालय अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मण्डल, बिलासपुर को दिनांक 23.10.2021 को अंतरित करते हुये अपीलार्थी को सूचित किया। जन सूचना अधिकारी, कार्यालय अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मण्डल, बिलासपुर ने अपने पत्र क्र. 4428 / कार्य / सू.अ. / प्र.क्र.55 / 2021 बिलासपुर दिनांक 08.11.2021 के माध्यम से जानकारी उपलब्ध न होने संबंधी लेख कर अपीलार्थी को सूचित किया गया तथा यह भी लेख किया गया कि प्रकरण में प्रथम अपीलीय अधिकारी, श्री ए.के. सोमावार, मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, बिलासपुर हैं। अपीलार्थी द्वारा उनके आवेदन में मांगी गई जानकारी पर जन सूचना अधिकारी, कार्यालय अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मण्डल, बिलासपुर द्वारा उपलब्ध नहीं होने की सूचना पर जन सूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, द्वारा अपीलार्थी को गुमराह करने के उददेश्य से जानबूझकर आवेदन को अंतरित किये जाने से क्षुब्ध होकर दिनांक 06.12.2021 को प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया है।

3. उत्तरवादी जन सूचना अधिकारी के तर्क श्रवण किये गये। उनके द्वारा यह तर्क रखा गया कि जो जानकारी चाही गयी है वह कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। श्री पी.के. आनंद पूर्व में कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद के पद पर पदस्थ थे, अतः उनकी सेवा पुस्तिका कार्यालय अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन एवं भू जल सर्वेक्षण मण्डल, रायपुर में उपलब्ध थी। श्री पी.के. आनंद की पदस्थापना शासन द्वारा दिनांक 24.09.2021 को प्रभारी अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मण्डल, बिलासपुर के पद पर किये जाने के फलस्वरूप उनकी सेवा पुस्तिका कार्यालय अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मण्डल, बिलासपुर को प्रेषित की गयी थी।

अपीलार्थी द्वारा चाही गयी जानकारी प्रथम नियुक्ति से लेकर आज दिनांक तक किये गये पदस्थापना से संबंधित दस्तावेजों, जिनमें प्रचलित नोटशीट, पदस्थापना आदेश से संबंधित है। श्री पी.के. आनंद, वर्तमान कार्यपालन अभियंता एवं तत्कालीन सहायक अभियंता की प्रथम नियुक्ति दिनांक 05.06.1985 को मध्यप्रदेश शासन के दौरान की गई थी। " **स्थापना शाखा द्वारा कार्यालयीन नोटशीट से उन्हें दिनांक 21.10.2021 को अवगत कराया कि श्री पी.के. आनंद कार्यपालन अभियंता से संबंधित आर. टी.आई. में पूछी गई जानकारी 331/332 में उपलब्ध नहीं है। उक्त जानकारी उनकी सेवापुस्तिका से प्राप्त की जा सकती है। अतः जल संसाधन मंडल बिलासपुर से प्राप्त किये जाने हेतु जनसूचना अधिकारी को भेजा जाना प्रस्तावित है।**" अपीलार्थी द्वारा वांछित पदस्थापना आदेश की जानकारी सेवा पुस्तिका में उपलब्ध हो सकती है। अतः अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 23.10.2021 को अधिनियम की धारा 6(3) के तहत जन सूचना अधिकारी, कार्यालय अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मण्डल, बिलासपुर को अंतरित करते हुये अपीलार्थी को सूचित किया गया था।

4 अपीलार्थी के तर्क श्रवण किये गये। उनके द्वारा यह तर्क रखा गया कि उनके आवेदन में वांछित जानकारी प्रमुख अभियंता कार्यालय अथवा शासन स्तर से संबंधित है। अतः उनका आवेदन धारा 6(3) के तहत अंतरित कर, उन्हें गुमराह किया गया। अतः जानकारी निःशुल्क प्रदाय करने हेतु आदेशित करें।

5. प्रकरण का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में अपीलार्थी की वांछित पूरी जानकारी अथवा आंशिक जानकारी प्रमुख अभियंता कार्यालय में धारित नहीं है ? इस संबंध में जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नोटशीट में कार्यालयीन सेक्शन क्र. 331/332 द्वारा लेख किया गया है कि RTI से पूछी गयी जानकारी 331/332 कक्ष में उपलब्ध नहीं है। परन्तु विभाग में यह कैसे संभव है कि अधिकारी की पदस्थापना संबंधी शासन के आदेश उपलब्ध नहीं हों ? छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा पदस्थापना हेतु जारी आदेश को पृष्ठांकित कर प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग कार्यालय को प्रेषित किया जाता है, ताकि वे संबंधित अधिकारियों को आदेश से अवगत करा सकें। कार्यालय में स्थापना का एक अन्य कक्ष 411 भी है। अधीक्षण अभियंता (प्रशासन) को कक्ष क्र. 331/332 तथा कक्ष क्र. 411 से सूक्ष्मता पूर्वक परीक्षण कराकर कार्यालय में उपलब्ध समस्त पदस्थापना आदेश की प्रति प्राप्त कर उत्तरवादी को उपलब्ध कराया जाना चाहिये थी, ताकि अपीलार्थी को जानकारी समय सीमा में उत्तरवादी द्वारा प्रेषित की जा सके।

6. उत्तरवादी द्वारा अपील की सुनवायी हेतु प्रस्तुत पत्र के अनुसार श्री पी.के. आनंद, वर्तमान प्रभारी अधीक्षण अभियंता की प्रथम नियुक्ति दिनांक 05.06.1985 को सहायक अभियंता के पद पर मध्यप्रदेश शासन के दौरान की गई थी। अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी लगभग 36 वर्षों से ज्यादा समय की है एवं राज्य गठन के पूर्व के पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित है, जिसका इस लोक प्राधिकारी द्वारा धारित किया जाना आवश्यक नहीं है। किसी शासकीय सेवक की पदस्थापना संबंधी आदेश शासन द्वारा जारी किया जाता है, अतः नोटशीट इस कार्यालय द्वारा धारित नहीं होगी।

...3

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(च) में **सूचना** को निम्नानुसर परिभाषित किया गया है :

"सूचना से किसी इलेक्ट्रानिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री अभिप्रेत है।"

इस प्रकार संपूर्ण पदस्थापना का विवरण एवं आदेश की प्रति सेवा पुस्तिका में होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुये अपीलार्थी के आवेदन को उत्तरवादी द्वारा धारा 6(3) के तहत जन सूचना अधिकारी, कार्यालय अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मण्डल, बिलासपुर को दिनांक 23.10.2021 को अंतरित किया गया था, जो कि सही है।

7. अपीलार्थी ने अपने आवेदन के साथ जन सूचना अधिकारी, कार्यालय अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मण्डल, बिलासपुर द्वारा उनके कार्यालय में जानकारी उपलब्ध न होने संबंधी अपीलार्थी को प्रेषित पत्र की मूल प्रति भी संलग्न की है। अपीलार्थी यदि जन सूचना अधिकारी, कार्यालय अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मण्डल, बिलासपुर के इस निर्णय से संतुष्ट नहीं थे, तो उन्हें इस संबंध में अधिनियम में निहित प्रावधान के तहत उस जन सूचना अधिकारी के प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री ए.के. सोमावार, मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, बिलासपुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत करनी थी।

8. अतः उभयपक्षों के तथ्यों के आधार पर प्रकरण पर निम्नानुसार निर्णय दिया जाता है:–

उत्तरवादी पक्ष अर्थात जन सूचना अधिकारी, अधीक्षण अभियंता (प्रशासन) के माध्यम से कक्ष क्र. 331/332 तथा कक्ष क्र. 411 से सूक्ष्मता पूर्वक परीक्षण कराकर, श्री पी.के आनंद अधिकारी से संबंधित कार्यालय में उपलब्ध समस्त पदस्थापना आदेश की प्रति प्राप्त कर उत्तरवादी को 15 दिवस के भीतर निःशुल्क उपलब्ध करावें। वांछित जानकारी लोक प्राधिकारी द्वारा धारित नहीं होने की स्थिति में भी तदनुसार अपीलार्थी का अवगत कराना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देश के साथ यह प्रथम अपील निराकृत की जाती है।

इस आदेश की प्रति संबंधित पक्षों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस आदेश से क्षुब्ध पक्ष, इस आदेश के विरूद्ध 90 दिनों के भीतर, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.), पिन–492002 के कार्यालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

सही/–
(अरूण कुमार बड़िये)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पृ. क्र. 168 / बो.प्र. / नि.स. / 2021 / 11054 नवा रायपुर, दिनांक 30/ 12 / 2021

प्रतिलिपि :—

1. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । कृपया उक्त आदेश को विभाग के वेबसाईट (RTI) में अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. श्री एल.बी. शाह,जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री रवि पेदुरवार (संपादक), दिव्यांग चेतना, माँ दंतेश्वरी मंदिर के पास, कुशालपुर रोड, रायपुर (छ.ग.) मो.नं.—9425518875 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

29/12/2021

(अरूण कुमार बड़िये)
अधीक्षण अभियंता (बोधी) एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)